सत्यमेव जयते

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 434 / 2018 दर्ज दिनांक : 08.06.2018

1. मोहनी देवी पत्नी हुणताराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू
2. शिवराम पुत्र हुणताराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू
3. लक्ष्मणराम पुत्र हुणताराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू
4. रामचन्द्र पुत्र हुणताराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू
5. मु. कमला पुत्री हुणताराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू
6. बिरजाराम पुत्र बलूराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू

—वादीगण—

**बनाम**

1. डेडराज पुत्र स्व. बलूराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू
2. भागीरथ पुत्र स्व. बलूराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू
3. भगवानाराम पुत्र स्व. बलूराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरिये महसीलदार, चूरू

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित अधिवक्ता
श्री गोपीराम सिहाग
श्री अजय सिहाग

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88ए, 91
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:56 IST
Reason: SelfAttested

## : निर्णय :

वादी की ओर से दावा नीचे लिखेनुसार प्रस्तुत है—

1. यहकि रोही मौजा रामसरा तहसील व जिला चूरू में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 456 तादादी 31 बीघा, खसरा नम्बर 459 तादादी 36 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 274 तादादी 07 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 03 कुल तादादी 74 बीघा 11 बिस्वा भूमि राजस्व अभिलेखों में वादीगण एवं प्रतिवादी सं 01 ता 03 के पूर्वजों की सहखातेदारी, संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है।
2. यहकि वादीगण एवं प्रतिवादी सं 01 व 02 तथा प्रतिवादी सं 03 के पिता वादगत उपर्युक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि को अपने पूर्वजों से प्राप्त विरासतन् खातेदारी हक हकूक़ों के मुताबिक मौके पपर काबिज होकर संयुक्त काश्त करते रहे। वादीगण एवं प्रतिवादी सं 01 व 02 तथा प्रतिवादी सं 03 के पिता स्व. दूदाराम ने वादगत कृषि भूमि का आपसी सहमति से मौके पर माप करवाकर जुबानी तौर पर व्यावहारिक बंटवारा अपने खातेदारी अधिकारों के मुताबिक करके मौके पर बंटवारा के मुताबिक सींव कायम करवा ली तथा काबिज होकर काश्त करते रहें।
3. यहकि जुबानी व्यावहारिक बंटवारा के मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं 01 ता 02 तथा प्रतिवादी सं 03 के पिता दूदाराम की पांति में नीचे परिशिष्ट "अ" की उप मदात "क" ता "ङ" में अंकितानुसार हिस्सा पांति में आयी —

**(क)** हिस्सा भूमि वादी सं 01 ता 05 खसरा नम्बर 274 तादादी 7 बीघा 08 बिस्वा में से आथुणा पासे की 4 बीघा तथा खसरा नम्बर 456 तादादी 31 बीघा में से आथुणा पासे की 17 बीघा कुल 21 बीघा भूमि पांति में आयी, जिसे नजरी नक्शा एनेक्चर "ए" में हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है।

**(ख)** हिस्सा भूमि वादी सं 06 खसरा नम्बर 274 तादादी 7 बीघा 08 बिस्वा में से वादीगण सं 01 ता 05 से अगुण और ओर प्रतिवादी सं 01 से आथुण मध्य भाग की 1 बीघा 08 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 456 तादादी 31 बीघा में से वादीगण संख्या 01 ता 05 से अगुण तथा प्रतिवादी सं 01 से आथुण मध्य भाग की 12 बीघा कुल 13 बीघा 08 बिस्वा भूमि पांति में आई, जिसे नजरी नक्शा एनेक्चर "ए" में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है।

**(ग)** हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं 01 — खसरा नम्बर 274 तादादी 7 बीघा 08 बिस्वा में से वादी सं 06 से अगुणे पासे की 2 बीघा भूमि तथा खसरा नम्बर 456 तादादी 31 बीघा में से वादी सं 06 से अगुणे पासे की 2 बीघा भूमि तथा खसरा नम्बर 459 तादादी 36 बीघा 3 बिस्वा में से आथुणे पासे की 9 बिघा 8 बिस्वा भूमि पांति में आई, जिसे नजरी नक्शा एनेक्चर ''ए'' में पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है।

**(घ)** हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं 02 खसरा नम्बर 459 तादादी 36 बीघा 03 बिस्वा में से प्रतिवादी सं 01 से अगुण एवं प्रतिवादी सं 02 से आथुण मध्य भाग की 13 बीघा 08 बिस्वा भूमि पांति में आयी, जिसे नजरी नक्शा एनेक्चर "ए" में गुलाबी रंग से प्रदर्शित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:56 IST
Reason: SelfAttested

(ङ) हिस्सा भूमि अप्रार्थी सं 03 दृ खसरा नम्बर 459 तादादी 36 बीघा 03 बिस्वा में प्रतिवादी सं 02 से अगुणे पासे की 13 बीघा 07 बिस्वा भूमि पांति में आई। जिसे नजरी नक्शा एनेक्चर "ए" में बैंगनी रंग से प्रदर्शित किया गया है। आवेदन हाजा का अभिन्न भाग एवं अंश शुमार है।

4. यहकि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 01 व 02 तथा प्रतिवादी सं 03 के पिता दूदाराम ने उपर्युक्त मद संख्या 03 के परिशिष्ट "अ" की उपमदात "क" ता "ङ" के मुताबिक आपसी सहमति से किये गये जुबानी व्यावहारिक बंटवारा के अनुसार ही प्रतिवादी सं 04 के समक्ष माप एवं सीमाकन से बंटवारा करवाने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी सं 04 ने पक्षकारान की आपसी सहमति के मुताबिक बंटवारा को तस्दीक करके पटवारी हल्का को विभाजन के मुताबिक खाता एवं लगान को विभाजित करके बंटवारा के मुताबिक नक्शा किश्तवार में दुरुस्ती करने का आदेश कमांक भू.अ./2010/दिनांक 10.01.2011 को जारी किया गया।

5. यहकि हल्का पटवारी द्वारा आदेश कमांक भू.अ./2010/दिनांक 10.01.2011 के मुताबिक नामान्तरकरण तस्दीक करके मौके पर मापे के मुताबिक पक्षकारों द्वारा पहले से ही कायम की गई सींव के अनुसार हीं नक्शा किश्तवार तरमीम करके बंटवारा के मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादी सं 01 ता 02 तथा प्रतिवादी सं 03 के पिता के नाम नामान्तरणकरण दर्ज कर खातेदारी अधिकार अभिलेखों में दर्ज करने आज्ञापक थी, लेकिन पटवारी हल्का ने वादीगण एवं प्रतिवादी सं 01 ता 02 तथा प्रतिवादी सं 03 के पिता द्वारा किये गये बंटवारा के मुताबिक पारित आदेश दिनांक 10.01.2011 के अनुसार नक्शा किश्तवार में मौके पर माप के मुताबिक तरमीम नहीं की, इसलिये नक्शा किश्तवार में विभाजन के पश्चात पटवारी द्वारा की गई तरमीम के मुताबिक तरमीमी नक्शे का माप मौका एवं रिकार्ड के माप में भिन्नता होने से पक्षकारान में विवाद होने की हर भांति सम्भावना बनी हुई है।

6. यहकि हल्का पटवारी द्वारा आदेश दिनांक 10.01.2011 के अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 890 दर्ज किया तथा प्रतिवादी सं 04 द्वारा दिनांक 17.01.2011 को तस्दीक किया गया, जिसमें बंटवारा के मुताबिक वादीगण संख्या 01 ता 05 के हक में खसरा नम्बर 779/274 खसरा नम्बर 773/456 तादादी क्रमशः 4.00 बीघा, 17.00 बीघा कुल किता 02 कुल तादादी 21 बीघा तथा वादी सं 06 के हक में खसरा नम्बर 780/274, खसरा नम्बर 774/456 तादादी क्रमशः 1.08 बीघा, 12.00 बीघा कुल किता 02 कुल तादादी 13 बीघा 08 बिस्वा तथा प्रतिवादी सं 01 के हक में खसरा नम्बर 781/274, खसरा नम्बर 775/456, 776/459 तादादी क्रमशः 2.00 बीघा, 2.00 बीघा, 9.08 बीघा कुल किता 03 कुल तादादी 13 बीघा 08 बिस्वा तथा प्रतिवादी सं 02 के हक में खसरा नम्बर 777/459 तादादी 13 बीघा 08 बिस्वा तथा प्रतिवादी सं 03 के स्व. पिता दूदाराम के हक में खसरा नम्बर 778/459 तादादी 13 बीघा 07 बिस्वा खातेदारी सही रूपेण अंकित की गई, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा नक्शा किश्तवार में तरमीम उपर्युक्त माप के मुताबिक नहीं की जाने से मौके पर कब्जा ... किश्तवार के माप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:56 IST
Reason: SelfAttested

काफी भिन्नता होने से नक्शा किश्तवार में की गलत तरमीम को सही करवाना आवश्यक हो गया है।

7. यहकि वादगत कृषि भूमि साबिका खसरा नम्बर 456 एवं 274 के मध्य से नजरी नक्शा एनेक्चर "ए" में ब दृ रंग भूरा कटानी रास्ता नक्शा किश्तवार में सन 1968 दृ 69 से ही मौजूद होने से मौके पर एक ही खेत होते हुये भी उपर्युक्त दो खसरों में विभाजित हो गया। खसरा नम्बर 456 के अगुणे पासे चिपता ही खसरा नम्बर 459 स्थित रहा है। उपर्युक्त बंटवारा दिनांक 10.01.2011 से खसरा नम्बर 456 से खसरा नम्बर 773/456, 777/456, 775/456 तथा खसरा नम्बर 459 से खसरा नम्बर 776/459, 777/459, 778/459 तथा खसरा नम्बर 274 से खसरा नम्बर 779/274, 780/274, 781 / 274 कायम किये गये।

8. यहकि वादीगण सं 01 ता 05 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 773/456 तथा खसरा नम्बर 779/274 में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 गुजरने के पश्चात खसरा नम्बर 773/456 के खसरा नम्बर 989/773/456 तादादी 14 बीघा 07 बिस्वा व 991/773/456 तादादी 00.03 बीघा तथा ख.न. 779/274 के खसरा नम्बर 986/779/274 तादादी 02 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 988/779/274 तादादी 00.08 बीघा कायम किये जाकर कुल तादादी 17 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं 01 ता 05 की खातेदारी में दर्ज की गई तथा खसरा नम्बर 990/773/456 तादादी 2.10 बीघा व खसरा नं. 987/779/274 तादादी 00.14 बिघा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 के खाते दर्ज कर दी गई।

9. यहकि वादी सं 06 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 774/456 तादादी 12 बीघा में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 गुजरने से वादी सं 06 की खातेदारी की उपर्युक्त भूमि में से खसरा नम्बर 992/774/456 तादादी 00.14 बीघा तथा खसरा नम्बर 994/774/456 तादादी 7 बीघा 16 बिस्वा वादी सं 06 की खातेदारी में दर्ज की गई तथा खसरा नम्बर 774/456 में से खसरा नम्बर 993/774 तादादी 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के खाते दर्ज कर दी गई।

10. यहकि प्रतिवादी सं 01 की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 775/456 तादादी 2 बीघा भूमि को नजरी नक्शा एनेक्चर ए में पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है। अप्रार्थी सं 01 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 775/456 तादादी 2 बीघा भूमि को नजरी नक्शा एनेक्चर ए में पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है। प्रतिवादी सं 01 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 775/456 तादादी 2 बीघा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 से काफी दूरी पर स्थित होने से प्रतिवादी 01 की रंचमात्र भी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 में अवाप्त नहीं हुई ना ही होनी संभव थी। प्रतिवादी सं 01 के कब्जे काश्त में मौके पर खसरा नम्बर 775/456 की 02 बीघा भूमि कायम है। लेकिन पटवारी हल्का द्वारा विभाजन दिनांक 10.01.2011 की पालना में नक्शे किश्तवार में गलत तरमीम [illegible] नक्शा में भूमि वादी सं 06 की खसरा नम्बर 774/456 की [illegible] 65 में अवाप्त हुई हैं। हल्का पटवारी द्वारा नक्शा किश्तवार के तरमीमी [illegible] को देखने से प्रथम दर्शनीय ही खसरा नम्बर 775/456 का रकबा नक्शे के [illegible] से 2 बीघा से काफी अधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:56 IST
Reason: SelfAttested

होना स्पष्ट होता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एनेक्चर "ए" में पीले रंग से प्रदर्शित भूमि ही प्रतिवादी सं 01 की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। इसलिये वादगत भूमि का नक्शा किश्तवार वादीगण की मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम करके मौके पर माप के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करके नक्शा एवं रिकार्ड दुरूस्त करवाने के वादीगण कानूनन अधिकारी होने से आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

11. यहकि वादीगण ने हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा किश्तवार की नकले हासिल करके प्रतिवादी सं 04 के समक्ष उपस्थित होकर मौका स्थिति के अनुसार नक्शा किश्तवार मौजा रामसरा में दुरूस्ती करके नक्शे के माप से मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में वास्तविकता के अनुसार दर्ज करने का निवेदन किया जो प्रतिवादी सं. 4 टालमटोल करते रहे और आखिरकार दिनांक 17.05.2018 को बमुकाम चूरू मानने से साफ इंकार हो गये। लिहाजा यही तारीख बिनाय मुखास्मत दावा है तथा वादीगण विवादित कृर्षि भूमि में हकदार होने से दावाधिकार रखते है।

12. यहकि तहसीलदार महोदय को तकमीलन पक्षकार बनाया गया है, राज्य सरकार के विरुद्ध ऐसा कोई अनुतोष नही चाहा गया है जिससे उसके हितो पर विपरीत प्रभाव पडे। इसलिए बिना दफा 80 सी.पी.सी का नोटिस दिये ही यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

13. यह कि विवादित कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित गांव रामसरा तहसील व जिला चूरू में स्थित होने से श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा दावा उचित कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषित किया जावे कि कृषि भूमि रौही मौजा रामसरा, चूरू में स्थित वादीगण संख्या 1 ता 5 की खातेदारी भूमि के बंटवारा में पारित आदेश दिनांक 10.01.2011 के मुताबिक पाँति में आई खातेदारी भूमि खसरा नं. 779/274, 773/456 तादादी कमांक 4.00 बीघा, 17 बिघा कुल तादादी 21 बीघा तथा वादी संख्या 6 की खातेदारी खसरा नं. 780/274, 774/456 तादादी क्रमशः 1.08 बीघा, 12 बीघा कुल तादादी 13.08 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 781/274, 775/456, 776/459 तादादी क्रमशः 2 बीघा, 2 बीघा, 9.08 बीघा कुल 13.08 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी भूमि 777/459 तादादी 13.08 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 3 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 778/459 तादादी 13.07 बीघा तथा वादीगण खातेदारो की भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के लिए अवाप्त भूमि सहित सम्पूर्ण भूमि का मौके पर माप करके बंटवारे के पश्चात तामीर में लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त कर नक्शा व रिकार्ड में परिवर्तन का रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

(ख) वादीगण के राष्ट्रीय राजमार्ग [illegible] भूमि का माप करके माप के अनुसार नक्शा व राजस्व रिकार्ड में अंकन कर [illegible] रूस्त किया जावे।

(ग) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो [illegible] सुनवाई हो जावे वो भी वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:56 IST
Reason: SelfAttested

(घ) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। श्रीमानजी की बड़ी कृपा होगी।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये।जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की ओर से वकालतनामा पेश कर जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है।

**जवाब दावा**

**प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाब निम्नानुसार पेश है।**

1. यह कि दावा मद सं. 01 स्वीकार है।
2. यह कि दावा मद सं. 02 स्वीकार है।
3. यह कि दावा मद सं. 03 स्वीकार है।
4. यह कि दावा मद सं. 04 स्वीकार है।
5. यह कि दावा मद सं. 05 स्वीकार है।
6. यह कि दावा मद सं. 06 स्वीकार है।
7. यह कि दावा मद सं. 07 स्वीकार है।
8. यह कि दावा मद सं. 08 स्वीकार है।
9. यह कि दावा मद सं. 09 स्वीकार है।
10. यह कि दावा मद सं. 10 स्वीकार है।
11. यह कि दावा मद सं. 11 स्वीकार है।
12. यह कि दावा मद सं. 12 कानूनी है। इस कारण जवाब की आवश्यक्ता नहीं है।
13. यह कि दावा मद सं. 12 कानूनी है। इस कारण जवाब की आवश्यक्ता नहीं है।
14. टंतिम बिना नम्बरी मय उपमदत क से ग स्वीकार है।

**विशेष कथन**

15. यह कि इस दावा की अंतिम मद बिना नम्बरी मय उपमदात क व ख में चाहे गये अनुतोष को न्यायालय प्रदान करता है, तो हमे कोई आपति नही है। इस मद में चाहे गये अनुतोष से हम पूर्णतः सहमत है।

तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई जो इस प्रकार है।

थ्क रोही रामसरा के खसरा नम्बर 780/274, 992/774, 994/774, 776/459, 781/274, 996/775 की मौके पर पहुंचकर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 780/274 तादादी 0.3541 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 992/774 तादादी 0.1771 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 994/774 तादादी 1.9728 हैक्टेयर में बिरजाराम पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंह पुरा खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है। रहन बदस्तुत जमाबंदी है।

इसी प्रकार खसरा नम्बर 776/459 तादादी 2.2376 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 781/274 तादादी 0.6559 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 996/775 तादादी 0.3794 हैक्टेयर जसवीर बजरंगलाल पि. डेडराज ब.हि.ब. 1/2 जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है। रहन बदस्तुर जमाबंदी है।

खसरा नम्ब 780/274, 992/774, 994/774, 776/459, 781/274, 996/775 खसरों का रकबा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड रखते हुए कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शा मुताबिक मौके नजरी नक्शानुसार तरमीम दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने से राजस्व रिकॉर्ड में विराधाभास नहीं होगा। उक्त खातेदार मौके अनुसार नजरी नक्शानुसार तरमीम करने पर सहमत है। मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:56 IST
Reason: SelfAttested

पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में की गई तरमीम के अनुसार सीमाएं न होकर संलग्न नजरी नक्शानुसार सीमाएं बनी हुई है। रिपोर्ट आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

मेहनी, रामचन्द्र, बिरजाराम, शिवराम, लम्ख्मणराम ने उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ—पत्र पेश किए जिसमें दावा में पेश किये गये कथनों का सही व सत्य होना अंकन किया है। एन.एच. 65 से सम्बनिधत हाने से भूमि अवाप्ति अधिकारी से वादगत कृषि भूमि में किन—किन खसरों से कितनी भूमि गई तथा कितना—कितना मुआवजा का भुगतान किया गया के संबंध में रिपोर्ट चाही मांगी गई जो इस प्रकार है खसरा नम्बर 779 / 274, 773 / 456 मोहनी, शिवरामसिंह, रामचन्द, कमला, लक्ष्मण आदि प्रत्येक को की बराबर—बराबर भूमि अधिग्रहण में गई है तथा कुल भूमि 8093.69 वर्गमीटर भूमि अधिग्रह में गई है। तथा खसरा नम्बर 774 / 456 बिरजाराम पुत्र बालुराम की भूमि गई है तथा कुल क्षेत्रफल 8852.48 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 775 / 456 कुल क्षेत्र फल 4264.64 वर्गमीटर भूमि डेडराम पुत्र बालूराम की गई है। जवाब प्राप्त होन पर साक्ष्य पूर्ण होने पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वाद पत्र, प्रतिवादीगण के जवाब दावा, अभिलेखीय दस्तावेज, तहसीलदार, चूरू की जांच रिपोर्ट, भूमि अधिग्रहण अधिकारी की रिपोर्ट, प्रस्तुत साक्ष्य शपथ—पत्र तथा उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की विस्तृत बहस का गहन परीक्षण एवं विचारण करने पर न्यायालय निम्न प्रकार से अपना निर्णय पारित करता है कि यह वाद वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88ए एवं 91 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्यतः यह निवेदन किया गया है कि वादगत कृषि भूमि (खसरा नं. 456, 459 एवं 274) पूर्वजों की संयुक्त खातेदारी भूमि रही है। पक्षकारों के मध्य पूर्व में आपसी सहमति से जुबानी / व्यावहारिक बंटवारा हुआ, जिसे बाद में दिनांक 10.01.2011 के आदेश द्वारा विधिवत मान्यता दी गई। नामांतरण संख्या 890 दिनांक 17.01.2011 द्वारा खातेदारी अधिकार दर्ज भी कर दिए गए। किन्तु, हल्का पटवारी द्वारा नक्शा किश्तवार में वास्तविक मौके के अनुसार दुरुस्ती (तरमीम) नहीं की गई, जिससे रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति में विरोधाभास उत्पन्न हो गया।साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के अधिग्रहण के कारण भूमि के रकबे एवं सीमाओं में परिवर्तन हुआ, जिसका सही अंकन भी आवश्यक है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में वादी के समस्त तथ्यात्मक कथनों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है।यहां तक कि अंतिम राहत (अनुतोष) के संबंध में भी प्रतिवादीगण ने यह कहा कि यदि न्यायालय उक्त राहत प्रदान करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि विवाद मूलतः वास्तविक बंटवारे या स्वामित्व का नहीं, बल्कि राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटि का है

अभिलेखों से स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में सहमति से बंटवारा हुआ, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10.01.2011 को अनुमोदित किया गया, तथा नामांतरण संख्या 890 के माध्यम से खातेदारी अधिकार विधिवत दर्ज किए गए। अतः बंटवारा विधिसम्मत एवं प्रभावी सिद्ध होता है।

वादीगण द्वारा यह विशिष्ट आक्षेप लगाया गया कि पटवारी द्वारा नक्शा किश्तवार में तरमीम मौके के अनुसार नहीं की गई, जिससे वास्तविक कब्जा एवं रिकॉर्ड में अंतर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:56 IST
Reason: SelfAttested

उत्पन्न हुआ। इस संबंध में तहसीलदार, चूरू की जांच रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि वर्तमान सीमाएं नजरी नक्शानुसार मौके पर विद्यमान हैं, तथा उसी के अनुसार दुरुस्ती करने पर कोई विरोधाभास नहीं रहेगा। भूमि अधिग्रहण अधिकारी की रिपोर्ट से यह सिद्ध होता है कि वादगत भूमि के विभिन्न खसरों से भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 में अधिग्रहित हुई है, तथा मुआवजा भी खातेदारों को प्रदान किया गया है। अतः यह आवश्यक है कि अधिग्रहित भूमि को पृथक से दर्शाया जाना चाहिए। पक्षकारों की सहमति इस वाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रतिवादीगण ने वादी के कथनों का विरोध नहीं किया, बल्कि मांगी गई राहत पर भी सहमति व्यक्त की। इससे यह स्पष्ट है कि विवाद केवल तकनीकी/अभिलेखीय त्रुटि का है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88ए एवं 91 के अंतर्गत न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि खातेदारी अधिकारों से संबंधित विवादों का निस्तारण करे, तथा राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटियों को दुरुस्त कराने हेतु आदेश पारित करे। साथ ही, यह स्थापित विधि सिद्धांत है कि राजस्व रिकॉर्ड को वास्तविक कब्जा एवं स्थिति के अनुरूप होना चाहिए।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादगत भूमि का बंटवारा दिनांक 10.01.2011 के आदेशानुसार सही एवं प्रभावी है। वर्तमान नक्शा किश्तवार में त्रुटि है तथा यह वास्तविक स्थिति के अनुरूप नहीं है। वादीगण राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा दुरुस्त करवाने के विधिक अधिकारी हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया किये जाने योग्य हैं

## निर्णय

*दावा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिकनियम 1955 की धारा 88, 91 को स्वीकार किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि पक्षकारों के मध्य दिनांक 10.01.2011 के बंटवारा आदेश के अनुसार खातेदारी भूमि का बंटवारा वैध एवं प्रभावी है। तहसीलदार चूरू के पत्रांक 04.05.2023 के सलंग्न रिपोर्ट पटवारी खासोली दिनांक 31.03.2023 के सलंग्न मौका नक्शा के अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है वाद लंबित रहते किया गया विक्रय वाद के परिणाम के अधीन रहेगा ऐसे हितधारी वे पृथक से उपयुक्त विधिक उपाय कर सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 हेतु अधिग्रहित भूमि जिस प्रकार हितधारी की अधिग्रहित की गई है के अंकन व हित को मध्यनजर रखा जावे। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।*

यह निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:56 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

सत्यमेव जयते

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 434/2018 दर्ज दिनांक : 08.06.2018

1. मोहनी देवी पत्नी हुणताराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू
2. शिवराम पुत्र हुणताराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू
3. लक्ष्मणराम पुत्र हुणताराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू
4. रामचन्द्र पुत्र हुणताराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू
5. मु. कमला पुत्री हुणताराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू
6. बिरजाराम पुत्र बलूराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू

—वादीगण—

**बनाम**

1. डेडराज पुत्र स्व. बलूराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू
2. भागीरथ पुत्र स्व. बलूराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू
3. भगवानाराम पुत्र स्व. बलूराम जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरिये महसीलदार, चूरू

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित अधिवक्ता
श्री गोपीराम सिहाग
श्री अजय सिहाग

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88ए, 91आ.टी.ए, 1955

## —:पर्चा डिक्रीः—

*दावा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिकनियम 1955 की धारा 88, 91 को स्वीकार किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि पक्षकारों के मध्य दिनांक 10.01.2011 के बंटवारा आदेश के अनुसार खातेदारी भूमि का बंटवारा वैध एवं प्रभावी है। तहसीलदार चूरू के पत्रांक 04.05.2023 के सलंग्न रिपोर्ट पटवारी खासोली दिनांक 31.03.2023 कें सलंग्न मौका नक्शा के अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है वाद लंबित रहते किया गया विक्रय वाद के परिणाम के अधीन रहेगा ऐसे हितधारी वे पृथक से उपयुक्त विधिक उपाय कर सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 हेतु अधिग्रहित भूमि जिस प्रकार हितधारी की अधिग्रहित की गई है के अंकन व हित को मध्यनजर रखा जावे। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।*

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 13.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:56 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार—I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)